छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1151/2007

1. श्री डोमार साहू, – *अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत–कुटेना, पोस्ट–पाण्डुका,
विकासखण्ड–छुरा, तहसील–गरियाबंद,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत–कुटेना, पोस्ट–पाण्डुका,
विकासखण्ड–छुरा, तहसील–गरियाबंद,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 04 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डोमार साहू के अपील प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.07.2008 को यह आदेश पारित किया गया था कि श्री किशनलाल साहू, सचिव, ग्राम पंचायत को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद होने के कारण उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी को 15 दिवस में जानकारी निःशुल्क देने तथा राशि 400/– क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उक्त आदेश का समयावधि में पालन नहीं करने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.09.2008 को आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया है, अतः निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समयावधि में प्राप्त नहीं हुआ और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांकों को जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुये, अतः उनके और अपीलार्थी के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई । पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में सचिव ने दिनांक 26.05.2008 को निरीक्षण कराने की सहमति के बाद भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने का जिक्र किया था और उसी के आधार पर पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया गया, किन्तु उसके बाद भी आयोग द्वारा उन्हें जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, उसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । यद्यपि अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं हुये, इसलिए यह सुनिश्चित करना कठिन है कि पूर्व निर्देशों के पालन में जानकारी दे दी गई है अथवा नहीं ? फिर भी सचिव को कम–से–कम कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर तो देना चाहिए था और सही स्थिति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अतः उन्हें जानकारी नहीं देने के लिए आंशिक रूप से दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत–कुटेना, जिला–रायपुर के विरूद्ध दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभी–तक अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई हो तो अब 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे । इसी प्रकार पूर्व में आदेशित क्षतिपूर्ति की राशि 400/– रूपये यदि अभी–तक नहीं दी गई हो तो वह भी एक सप्ताह में उन्हें भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com